

:: न्यायालय— श्रीमती चंचल बुंदेला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इन्दौर (म.प्र.) ::

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 20757 / 2025

::-निर्णय:-

::- आज दिनांक 03.09.2025 को घोषित -::

::-निष्कर्ष:-

अभियुक्त करतार पिता मिठिया राठौर, उम्र-47 वर्ष, निवासी-467, पंचवटी कॉलोनी तलावली चांदा इंदौर म.प्र. की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा 281, 125(ए) भा.न्या.सं. के अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

::-दण्डादेश:-

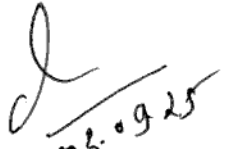
दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति, प्रकरण की परिस्थितियां, माननीय मध्यभारत उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा विधि दृष्टान्त राज्य विरुद्ध गुलाम मीर, ए.आई.आर. 1956 एम.बी. पृष्ठ 141 में प्रतिपादित सिद्धान्त एवं धारा 71 भा.दं.वि./धारा 9 बी.एन.एस. के प्रावधान को देखते हुए अभियुक्त **करतार राठौर** को प्रमाणित अपराध अंतर्गत धारा **281, 125(ए) भा.न्या.सं.** में से वृहत्तर अपराध धारा **125(ए) भा.न्या.सं.** के अपराध में दोषसिद्धि पर न्यायालय अवधि अवसान तक के कारावास रुपये **5,000/- (पांच हजार रुपए मात्र)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम पर अभियुक्त को 7 दिवस का सादा कारावास पृथक से भुगताया जावे।

प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मारुति सुजुकी सफेद कलर की जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक—**MP09HB2131** पूर्व से सुपुर्दगी पर है।

धारा 395 भा.ना.सु.सं. 2023 के अंतर्गत आरोपी पर रुपए 5,000/- (पांच हजार मात्र) की राशि प्रतिकर के रूप में अधिरोपित की जाती है। प्रतिकर की राशि जमा करने पर प्रतिकर की राशि में से पृथक-पृथक 2,000-2,000/- रुपए प्रतिकर के रूप में फरियादी/आहत जगदीश पिता रामचरण शिवहरे तथा गुड्डी बाई पति जगदीश शिवहरे को प्रदत्त की जावे।

निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को तत्काल निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक :-03.09.2025


J.M.F.C., Indore (M.P.)